संख्या–4494/96–आयुष–1–2022–138/2022

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2022

विषय– प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में नीट यू0जी0 की मेरिट को अंगीकार करते हुए प्रवेश हेतु यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग आनलाइन कराने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3229/शिक्षा–2483/22 दिनांक 16.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में नीट यू0जी0 की मेरिट को अंगीकार कर स्टेट मेरिट एवं विकल्प क्रम के आधार पर आनलाइन काउंसिलिंग कराये जाने हेतु नीति निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम में निदेशक, आयुर्वेद सेवायें/निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन)/निदेशक, यूनानी एवं निदेशक, होम्योपैथी द्वारा समेकित रूप से उपलब्ध कराये गये उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार स्टेट मेरिट सूची के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति, राष्ट्रीय आयोग तथा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सम्बन्धित सत्र में प्रवेश की अनुमति प्राप्त राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/ होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/संस्थानों में स्टेट कोटा (कुल स्वीकृत सीटों का 85 प्रतिशत) की सीटों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी महाविद्यालयों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों की समस्त सीटों के सापेक्ष बी0ए0एम0एस0/ बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह नीति प्रभावी होगी का उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है।

निदेशक के प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में स्नातक (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/ बी0एच0एम0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–693/71–4–2022 दिनांक 21.10.2022 तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–बी0यू0एस0एस0/एडमिशन काउंसिल (यू0जी0) 2021–22, दिनांक 14.10.2022 के आधार पर तैयार किये गये निदेशक के प्रस्ताव के क्रम में विचार कर जहां पर भारत सरकार एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त वर्णित शासनादेशों में भिन्नता है, वहां पर भारत सरकार के शासनादेश के निर्देशों को स्वीकार करते हुए नीति निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः निदेशक, आयुर्वेद सेवायें के पत्र संख्या–3229/शिक्षा–2483/22 दिनांक 16.12.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में नीट यू0जी0 की मेरिट को अंगीकार करते हुए प्रवेश लिये जाने हेतु यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग आनलाइन कराने हेतु निम्नवत् नीति निर्धारण की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैः–

निम्नवत् हैः–

1. तकनीकी संस्था का नामांकन एवं कार्यः

1. नीट यू0जी0 के माध्यम से अर्ह घोषित अभ्यर्थियों के आनलाईन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार कर काउसिंलिंग की प्रक्रिया आदि हेतु National Informatics Center (N.I.C.) को निदेशक, आयुर्वेद, उ0प्र0 के अनुरोध पर शासन के पत्र संख्या–4279/96–आयुष–1–2022–कम्प्यूटर नं0–1673132, दिनांक 02.12.2022 द्वारा तकनीकी संस्था

नामित किया गया है। तकनीकी संस्था आगामी 06 माह तक काउंसिलिंग एवं उससे सम्बन्धित कार्य सम्पादित करने में सहयोग करेगी।

2. तकनीकी संस्था एन0आई0सी0 एवं आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक–12.12.2022 को सम्पन्न बैठक में दिये गये सुझावों के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये–
   i. उक्त काउंसिलिंग हेतु एन0टी0ए0 से नीट यू0जी0 परीक्षा का परिणाम सील बंद (साफ्ट कापी/हार्ड डिस्क/सी0डी0) प्राप्त कर एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया जाय।
   ii. तकनीकी संस्था द्वारा काउंसिलिंग हेतु वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन फार्म तथा अभ्यर्थी के विकल्पों की वरीयता के आधार पर सीट आवंटन आदि हेतु यथावश्यक साफ्टवेयर तैयार किया जायेगा।
   iii. वेबसाइट डोमेन पंजीकरण यू0पी0 स्टेट डाटा सेन्टर के माध्यम से कराया जायेगा।
   iv. वेबसाइट होस्ट करने के लिए सर्वर स्टोरेज आदि प्राप्त करने हेतु यू0पी0 स्टेट डाटा सेंटर से समन्वय किया जाय।
   v. काउंसिंलिंग शुल्क एवं धरोहर राशि आदि प्राप्त करने के लिए बैंक के साथ समन्वय एवं इन्टिग्रेशन किया जाय।
   vi. काउंसिलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को आवश्यक संदेश भेजने के लिए ई0मेल तथा फोन द्वारा एस0एम0एस0 भेजने की व्यवस्था की जाय।
   vii. तकनीकी सहयोग हेतु एन0आई0सी0 के माध्यम से नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकारपोरेट्स (N.I.C.S.I.) से यू0जी0 तथा पी0जी0 काउंसिलिंग हेतु तीन तकनीकी सहायकों की सेवायें ली जा सकेंगी।
   viii. ऑनलाइन फार्म एवं काउंसिलिंग के साफ्टवेयर का भारत सरकार द्वारा नामित किसी संस्था से थर्ड पार्टी सिक्योरिटी आडिट तथा सिक्योर्ड साकेट लेयर (S.S.L.) प्राप्त किया जाय।

2. अभ्यर्थियों के आनलाईन पंजीकरण एवं काउंसिलिंग की प्रक्रिया हेतु विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना–

प्रदेश के अनुमति प्राप्त राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक संस्थानों में बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची इत्यादि तैयार करने तथा काउंसिलिंग की प्रक्रिया संपादित करने हेतु विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही की जानी है। काउंसिलिंग बोर्ड के अध्यक्ष, निदेशक आयुर्वेद, निदेशक यूनानी एवं निदेशक होम्योपैथ द्वारा समेकित रूप से विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना अपेक्षित है। ब्रोशर तैयार करते समय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

3. अर्हतायें (Eligibility)-

1. ऐसे छात्र जो सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र की नीट यू0जी0 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुए हों तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वह ही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
2. नीट यू0जी0 की प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम परसेंटाइल अंक प्राप्त किये हों।
   i. अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–न्यूनतम 50 परसेंटाइल अंक।
   ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग– न्यूनतम 40 परसेंटाइल अंक।
   iii. दिव्यांग श्रेणी के अनारक्षित अभ्यर्थी– न्यूनतम 45 परसेंटाइल अंक।
   iv. आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी– न्यूनतम 40 परसेंटाइल अंक।
   v. आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा अनर्ह घोषित न किये गये हों।
3. प्रदेश के **राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उ0प्र0 से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र

आवश्यक नहीं होगा। शेष अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उ0प्र0 के निवासी होने का (डोमिसाइल/सामान्य निवास) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट–डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–157/तीन–2003–77(11)/83 दिनॉक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है उसी पर डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त शासनादेश दिनांक–18.02.2003 का प्रारूप ब्रोशर (विवरण पुस्तिका) के साथ संलग्न कर अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं की सीटों पर प्रवेश हेतु उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी होना या हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

4. अनर्हतायें (Non Eligiblity)-

ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं मापअप चक्र की काउंसिंलिंग के उपरान्त निर्गत अनर्ह सूची में सम्मिलित होंगे, वह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नही होंगे।

5. शैक्षणिक अर्हतायें–

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एवं होम्योपैथी के स्नातक (यू0जी0–बी0ए0एम0एस/बी0एस0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) एवं स्नातकोत्तर (पी0जी0–एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम में सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग एवं एडमीशन के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश में उल्लिखित निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी–

इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु, आरक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत, अनारक्षित दिव्यांग उपश्रेणी हेतु 45 प्रतिशत तथा आरक्षित दिव्यांग उपश्रेणी हेतु 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा यदि अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

6. अभिलेखों का सत्यापन–

(क) यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन एवं आफलाइन दोनों प्रकार से कराया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेगें।

1. हाई स्कूल अथवा समकक्ष तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष मार्कशीट।
2. नीट यू0जी0 स्कोर कार्ड।
3. आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र।
4. डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार (ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होने हाईस्कूल अथवा समकक्ष तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें अथवा कोई भी एक परीक्षा उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो।)

(ख) अभिलेखों का भौतिक सत्यापन–

अर्हता से संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही काउन्सिलिंग केन्द्र–राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, हैनीमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ एवं आवंटित आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के समय करायी जायेगी, जिसके लिये अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख, मूलरुप में एवं स्वप्रमाणित एक–एक छायाप्रति सहित निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे–

1. NEET यू0जी0 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
2. हाई स्कूल अथवा समकक्ष तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष माक्रशीट तथा प्रमाण पत्र।
3. उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सामान्य निवास प्रमाण–पत्र।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणपत्र–अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सी सर्टिफिकेट न्यूनतम बी ग्रेड के साथ (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, सत्यापित कराया जायेगा) आरक्षण से

सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र को छोडकर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होंगे। अन्य प्रदेशों से जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

5. निर्धारित प्रारुप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र। **भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।** अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) का प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो तथा संबंधित वर्ष के 01 अप्रैल अथवा उसके बाद का जारी किया गया हो, ही मान्य होगा।
6. एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसी निगेटिव से बना हो जिसे अभ्यर्थी ने सम्बन्धित वर्ष की नीट यू0जी0 की परीक्षा के समय अपलोड किया हो।
7. आधार कार्ड।
8. आनलाइन पंजीकरण का प्रिन्ट आउट।

नोट–

1. **दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे तथा वर्तमान सत्र के लिए निर्गत किये गये हों।**

   दिव्यांगता प्रमाण पत्र में किसी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विवाद/अस्पष्टता के समाधान हेतु विशेष चिकित्सा बोर्ड गठित करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।
2. **एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र (सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिग के साथ) नेशनल कैडेट कोर (National Cadet Corps) हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत बटालियन द्वारा जारी किया गया, मान्य होगा।**
3. अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर–राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, हैनीमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ है।
4. मूल अभिलेख न होने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यदि अभ्यर्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेशित है और उसके मूल अभिलेख उस संस्था में जमा हैं, अभ्यर्थी उस संस्था की अनापत्ति तथा मूल अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु, आवंटित संस्था में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. पंजीकरण शुल्क–

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सभी चक्रों (प्रथम, द्वितीय, मॉप–अप तथा स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों) की काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण के रूप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क रू0 1,500 (एक हजार पांच सौ) मात्र तथा शेष अन्य अभ्यर्थियों के लिए रू0 2,000 (रूपये दो हजार) मात्र प्रति छात्र आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा। **अभ्यर्थी को सभी चक्रों की काउंसिलिंग के लिए मात्र एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं (Non refundable) किया जायेगा।**

अभ्यर्थी जिस चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, उस चक्र की काउन्सिलिंग हेतु उसे वरीयता विकल्प भरना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चक्रों की काउन्सिलिंग में पंजीकृत नहीं हैं उन्हें अग्रिम चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना होगा।

8. धरोहर धनराशि (सिक्योरिटी मनी) –

पंजीकरण कराते समय अभ्यर्थी को आनॅलाइन माध्यम से धरोहर धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है अथवा प्रथम चक्र में प्रवेश के उपरान्त द्वितीय चक्र में पुनरावंटन कराना चाहता है तो उसे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

धरोहर धनराशि की व्यवस्था निम्नवत् की जानी है–

राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को सिक्योरिटी मनी के रूप में रू0 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी

मेडिकल कालेजों हेतु यह धनराशि रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी राजकीय एवं निजी क्षेत्र, दोनो प्रकार के आयुष महाविद्यालय हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो उसे कुल रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार) जमा करना होगा।

अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापसी हेतु बैंक का विवरण (बैंक का नाम एवं शाखा, खातेदार का नाम, खाता संख्या तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड) धरोहर धनराशि जमा करते समय उपलब्ध कराना होगा।

निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी–

1. प्रथम अथवा द्वितीय अथवा मॉप–अप अथवा स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। किन्तु, यदि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, तो उसे शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क रूपया एक हजार छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
2. प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि प्रथम अथवा द्वितीय चक्र के काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन के उपरान्त कालेज में प्रवेश नहीं लेते हैं। (प्रथम अथवा द्वितीय काउन्सिलिंग में दिये गये वरीयता विकल्प के आधार पर यदि किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है तो उसको पूर्व आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी तथा उस अभ्यर्थी को अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना होगा एवं पूर्व में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा।)

9. त्याग–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में–

प्रथम अथवा द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरान्त द्वितीय अथवा मॉप–अप चक्र की काउन्सिलिंग हेतु च्वाइस फिलिंग के 48 घंटे पूर्व (उदाहरण स्वरूप यदि च्वाइस फिलिंग दिनांक 24.12.2022 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होनी है तो अभ्यर्थी को दिनांक 22.12.2022 को प्रातः 09:59 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो उसका शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क रु0 एक हजार छोड़कर) वापस कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन (Allotment/Allocation) प्रवेश नहीं है। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को सबंधित कालेज पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।

10. काउन्सिलिंग हेतु समय सारिणीः–

प्रथम, द्वितीय, मॉप–अप एवं स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों की काउन्सिलिंग की समय सारिणी काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित कर काउन्सिलिंग की अधिकृत वेबसाइट एवं विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। प्रत्येक चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व काउन्सिलिंग की विज्ञप्ति 02 हिन्दी एवं 01 अंग्रेजी के बहुप्रसारित राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जायेगी।

11. काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया–

अ (1)– विभिन्न चक्रों की काउन्सिलिंग से पूर्व काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा समस्त आयुष कालेजों से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथिक राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित सत्र की मान्यता हेतु अद्यतन निर्गत प्रवेश की अनुमति पत्र प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण प्रदान करते हुये सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी। काउन्सिलिंग के मध्य में यदि किसी संस्था को सम्बन्धित आयोग से प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त होती है अथवा सीटों में वृद्धि होती है, तो तत्समय प्राप्त सीटों को नियमानुसार सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित किया जायेगा। सीट मैट्रिक्स तीनों विधाओं के निदेशकगण तथा काउंसिलिंग बोर्ड के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

(2)– काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय तथा मॉपअप चक्र के द्वारा सम्पन्न की जायेगी। उक्त के पश्चात् यदि कोई सीट रिक्त रहती है अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि में संशोधन किया जाता है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों से सीट का आवंटन किया जायेगा।

(3)– प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन एवं प्रवेश के पश्चात रिक्त सीटों पर उसी चक्र की काउन्सिलिंग की स्टेट मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये वरीयता विकल्पों के आधार पर उसकी सीट को आटो–अपग्रेड किया जायेगा।

(4)–मॉपअप चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटे रिक्त रहती हैं, तो उन्हें नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी में आमेलित/परिवर्तित करते हुए मापअप चक्र की आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

(5)–अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु केवल एक बार ही पंजीकरण कराना होगा, यदि अभ्यर्थी किसी अग्रिम चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, तो उसे पुनः उस चक्र की च्वाइस फिलिंग करना होगा।

(6)–आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा प्रथम, द्वितीय, मॉप–अप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र के पश्चात घोषित अनर्ह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

ब–मॉपअप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र–

(1)– मॉप–अप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग की प्रथम अथवा द्वितीय काउन्सिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।

(2)– आवंटन के पश्चात सम्बन्धित कालेज में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3)– मॉप–अप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र के समय अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4)– यदि अभ्यर्थी यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग से पूर्व अथवा वर्तमान सत्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से अन्य विधा के पाठ्यक्रम में प्रवेशित है तथा अपनी विधा परिवर्तित करना चाहता है, तो उसे मॉप–अप चक्र में प्रतिभाग करने के लिए सम्बन्धित कालेज से त्यागपत्र देते हुये मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(5)– मॉप–अप/स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों में कोई पुनरावंटन (Reshuffle) अनुमन्य नहीं होगा।

स–मॉपअप चक्र हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे :–

(1)–यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग की प्रथम या द्वितीय काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रेविशत/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी (विधा परिवर्तन को छोडकर) मॉप–अप चक्र हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(2)–15 प्रतिशत आल इंडिया कोटा के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी।

(3)–आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा घोषित अनर्ह अभ्यर्थी।

12. काउन्सिलिंग बोर्ड हेतु नामित अधिकारियों का विवरण एवं प्रास्थिति–

क्रम सं0	काउन्सिलिंग बोर्ड हेतु नामित अधिकारियों का विवरण	काउन्सिलिंग बोर्ड में प्रास्थिति	प्रस्तावित नाम
1	शासन द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष	श्री सुखलाल भारती, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	शासन द्वारा नामित निदेशक	सदस्य सचिव	डा0 अरविन्द कुमार वर्मा, निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
3	शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य	श्री शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
4	शासन द्वारा नामित किसी राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी /होम्योपैथी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/प्रोफेसर (अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से एक–एक प्रतिनिधि)	सदस्य	**अनारक्षित–** प्रो0 एस0एस0 बेदार, कार्यवाहक प्रधानाचार्य ल0ह0रा0 आ0का0 पीलीभीत। **अन्य पिछड़ा वर्ग–** प्रो0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर, प0ज0ल0ने0, रा0हो0का0 कानपुर। **अनुसूचित जाति–** प्रो0 रवि प्रकाश, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, बु0रा0आ0का0, झाँसी।

			अल्पसंख्यक– प्रो0 नफासत अली अन्सारी, प्रोफेसर, स्टेट तकमील उत्तिब कालेज, लखनऊ।
5	निदेशक आयुर्वेद/निदेशक यूनानी/निदेशक होम्योपैथ द्वारा नामित एक–एक अधिकारी	सदस्य	
6	निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी अल्पसंख्यक श्रेणी के कालेजों से नामित प्रतिनिधि	सदस्य	नेमीनाथ होम्योपैथ मेडिकल कालेज, आगरा।
7	आनॅलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कांउसिलिंग कराये जाने हेतु एन0आई0सी0 से विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी	सह–सदस्य	
8	परामर्शदाता, विधिक ज्ञान रखने वाला अधिकारी (कोई एक)	सह–सदस्य	डा0 कुलरतन, प्रभारी अधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय, लखनऊ।

नोट– उपरोक्तानुसार गठित काउंसिलिंग बोर्ड वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु ही प्रभावी होगा।

13. अन्य दिशा–निर्देश–

(1)– यू0पी0 आयुष यू0जी0 की काउन्सिलिंग में कार्यरत समस्त कार्मिकों को मानदेय आदि महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 द्वारा देय मानदेय के समान प्रदान किया जायेगा तथा काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त व्यय काउन्सिलिंग शुल्क आदि से प्राप्त धनराशि से वहन किया जायेगा।

(2)– अभ्यर्थियों को किसी असुविधा/शिकायत के लिए एक ई–मेल आई0डी0 तथा हेल्पलाइन नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर अभ्यर्थी अपनी शिकायत या असुविधा का ब्यौरा दर्ज करा सकता है।

(3)– धरोहर धनराशि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी।

14. निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में–

यू0पी0 आयुष यू0जी0 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के संचालानार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में काउंसिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रति कालेज रु0–1,00,000/– (रु0 एक लाख) जमा कराया जायेगा।

निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगें एवं निजी क्षेत्र के अल्प संख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगें।

15. शिक्षण शुल्क–

(1)– सरकारी क्षेत्र के आयुष कालेजों में प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होंगे।

(2)– निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

(3)– अल्पसंख्यक संस्थानों का शुल्क संस्था द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है।

निजी क्षेत्र/अल्संख्यक संस्थानों के आयुष मेडिकल कालेजों को अपनी वेबसाइट पर शुल्क प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

16. विविध–

1. समय–समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय/आयुष मंत्रालय, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
2. काउन्सिलिंग से प्रवेशित सभी अभ्यर्थियों हेतु सम्बन्धित कालेज स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर मेडिकल कराया जाएगा।

3. काउन्सिलिंग में किसी भी प्रकार का विवाद/कोर्टकेस का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा। (The jurisdiction for court cases/disputes shall be at Lucknow only.)

17. आरक्षण–

(1) राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में आरक्षण :–उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा :–

(क) उर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित वर्ष के 01 अप्रैल अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। भारत सरकार के सेवा योजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

नोट :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी0सी0 दिनॉक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार E.W.S. का आरक्षण उन्हीं कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथ आयोग नई दिल्ली द्वारा E.W.S. के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ख) क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण

यू0पी0 आयुष यू0जी0 में विभिन्न श्रेणी के प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाना है :–

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिये	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिये	20 प्रतिशत
5	'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन0सी0सी0 कैडेट	01 प्रतिशत

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जायेगा :–

(क) काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार उ0प्र0 के शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व काउंसिलिंग बोर्ड का होगा।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगें।

(ग) कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/1/2008–का–2–2015, दिनॉक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में **सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात जिलाधिकारी** द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र ही काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संबंधित वर्ष के 01 अप्रैल या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियॉ भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि NEET यू0जी0 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की यू0जी0 की काउन्सिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(च) शासनादेश संख्या–22 सी0एम0(1)/26–03–2013 दिनॉक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के संबंध में शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

बिन्दु संख्या–3 जहॉ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली जो जातियॉ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

बिन्दु संख्या–4 यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियॉ जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(छ) दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम–2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्राविधान के अनुसार प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन उप श्रेणी का प्रमाण पत्र जो कि आयुष एडमीशन सेन्ट्रल काउन्सिलिंग कमेटी (एएसीसीसी) 2022 हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ही, मान्य होगा।

(ज) स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू0जी0 आयुष यू0पी0 2022 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

यह दिशा–निर्देश वर्ष 2022–23 एवं आगामी वर्षों की काउन्सिलिंग के लिए भी प्रभावी होंगे।

3– उक्त काउंसिलिंग हेतु मैनपावर तीनों निदेशकगण आपस में समन्वय स्थापित कर उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा उक्त काउंसिलिंग का समन्वय किया जायेगा एवं निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा उक्त काउंसिलिंग में लगाये जाने वाले विभागीय कार्मिकों का काउंसिलिंग पूर्व प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–4495(1)/96–आयुष–1–2022, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन0सी0आई0एस0एम0), नई दिल्ली।
2– सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एन0सी0एच0), नई दिल्ली।
3– निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0, लखनऊ।
6– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
7– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
8– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)।
9– समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक संस्थान, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
10– समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक संस्थान, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।

11– समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक संस्थान, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)।
12– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
13– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
14– विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
15– संयुक्त सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
16– अनु सचिव, (श्री शैलेन्द्र कुमार/श्री गंगा चरण), आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
17– अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (मुख्यालय), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा एन0आई0सी0 को यू0जी0/पी0जी0 काउंसिलिंग हेतु तकनीकी संस्था नामित किया गया है। अतः काउन्सिलिंग से संबंधित समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराने तथा उक्त प्रस्तर–2 के उपप्रस्तर–12 में उल्लिखित काउंसिलिंग बोर्ड की तालिका के कमांक–7 में अंकित "आनॅलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कांउसिलिंग कराये जाने हेतु कृपया एन0आई0सी0 से विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी" को सह सदस्य के रूप में नामित करने का कष्ट करें।
18– काउन्सिलिंग कमेटी के समस्त नामित सदस्य (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)
19– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

19.12.2022

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।